दैनिक नवज्योति 4
Metro सिटी
■ शुक्रवार, 22 जुलाई 2011

■ अपराध के मामलों में अधिकतर शिक्षित लोग शामिल

■ चिकित्सा राज्यमंत्री राजकुमार शर्मा ने युवाओं की वर्तमान स्थिति पर जताई चिंता

खेती से मुंह मोड़ रहे हैं युवा

जयपुर। राजस्थान के युवा पढ़ने-लिखने के बाद खेत की तरफ देखते भी नहीं। युवा शिक्षा-स्तर बढ़ने के बावजूद कृषि से मुंह मोड़ रहा है जबकि अन्य राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब अभी भी कृषि प्रधान राज्य है। वहां युवा अभी भी खेती पर निर्भर है। युवाओं का इस कदर कृषि से दूर होने के कारण है, अधिक पढ़ने-लिखने के बाद वो सोचते है इतनी पढ़ाई के बाद खेती ही थोड़ी करुंगा? यह कहना है चिकित्सा राज्य मंत्री राजकुमार शर्मा का। शर्मा यहां सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की ओर से नीति चर्चा के लिए आयोजित राजस्थान में आजीविका एवं शिक्षा को प्रोत्साहन गोलमेज परिचर्चा में बोल रहे थे। परिचर्चा में राष्ट्रीय फूटपाथ नीति-2009 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर चर्चा की गई। चर्चा का उद्देश्य नीति नियोजक एवं नीति समीक्षकों के बीच संवाद कराना था। इसके लिए देश की समस्याओं के समाधान के लिए विचार-विमर्श करने वाले प्रदेश के 25 विधायकों को बुलाया गया था। मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के पूर्व प्रोफेसर डॉ. पार्थ जे. शाह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

कुंठित होकर करते हैं अपराध

शर्मा ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर बोलते हुए कहा कि आज के समय में रोजगारन्मुखी कोर्स ज्यादा हो गए हैं। इसके साथ ही आज के युवा शोर्टकट में जल्द पैसे कमाना चाहता है। यही कारण है कि अधिकतर मामलों में अपराध करने वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं। जल्द पैसे वाला बनने के चक्कर में कुंठित होकर यह लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं। जिनके अभी ताजा मामले पिछले दो-तीन दिन में प्रकाशित भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में नेता तक आम आदमी की पहुंच काफी आसान है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के दक्षिणी हिस्से में राजनीति पैसे वाला आदमी करता है, लेकिन यहा एक सादा आदमी भी चुनाव टिकट लेने पहुंच जाता है। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों में आज भी गुणवत्ता है बस जरुरत है लोगों के जागरुक होने की।

जरुरतमंद तक पहुंचे शिक्षा का अधिकार

पूर्व शिक्षामंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि अभी तक मुझे यही साफ नजर नहीं आ रहा कि पंचायती राज व शिक्षा विभाग इन दोनों में से शिक्षा का प्राइमरी भाग किसके पास है। क्योंकि यह दोनों विभाग एक-दूसरे पर बात डालते रहते हैं। शिक्षा के अधिकार के बारे में देवनानी ने बताया कि इस अधिकार का लाभ जब तक जरुरतमंद व नीचे तक नहीं पहुंचेगा तब तक यह नियम सार्थक नहीं होगा। इस अधिकार के उचित नियमन के लिए प्रदेश की सरकारी स्कूल में करीब 80 हजार कमरे व डेढ़ लाख टीचर्स की जरुरत है।

आरटीई केवल 15 राज्यों में ही

डॉ. शाह ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के पास होने के एक वर्ष बाद भी आज देश के केवल 15 राज्यों ने ही अपने नियमों में इसे नोटीफाई किया है जबकि अन्य राज्य इस प्रक्रिया को अंतिम रुप देने में लगे हैं। कुछ राज्य इस प्रक्रिया को मूर्त रुप देने में सिविल सोसायटी के लोगों को भी सम्मिलित कर रहे हैं। सोसायटी के अमित चन्द्र ने फूटपाथ व्यवसाय नीति के बारे में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में सोदान सिंह तथा अन्य विरुद्ध नई दिल्ली नगर निगम के मामले में दिए गए अहम फैसले के बाद स्थानीय निकायों द्वारा फूटपाथ व्यवसायियों के लिए कुछ कार्य शुरु किए है। परंतु एक राष्ट्रीय नीति या कानून की कमी के कारण इस क्षेत्र में प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 2004 में केन्द्र सरकार की ओर से बनाई गई राष्ट्रीय फूटपाथ नीति जिसका संसोधन कर बनाई गई राष्ट्रीय फूटपाथ नीति 2009 राजस्थान में अभी तक किसी भी रुप में लागू नहीं है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फूटपाथ नीति को 30 जून 2011 तक लागू करने का सरकार को आदेश दिया था, लेकिन यह अभी भी लागू नहीं की गई।

DNA
DAILY NEWS & ANALYSIS
JAIPUR | FRIDAY, JULY 22, 2011
www.dnaindia.com | epaper.dnaindia.com
2

MORNING BRIEFING

PINKCITY

Elected leaders attend round table discussion

Around 25 MLAs participated in an interaction programme on the current status of Right to Education and Street Vendor Act in Rajasthan. Noted economist Parth J Shah addressed the elected leaders with the current status of RTE Act and Street Vendor Act of the state. The purpose of the meeting was to provide clear understanding of the issues to the leaders and suggest reforms in these areas. The policy round table meeting was organised by the Centre for Civil Society at a city hotel on Thursday.

पंजाब केसरी
जयपुर
22 जुलाई, 2011
शुक्रवार
राजस्थान तीन

शिक्षा के अधिकार विषय पर परिचर्चा

जयपुर, (कासं): शिक्षा के अधिकर को विषय को लेकर गुरुवार कोसेंटर फॉर सिविल सोसायटी की ओर से एक होटल में परिचर्चा रखी गई। जिसमें ख्यात शिक्षा शास्त्री प्रो. पार्थ जे. शाह ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद देश के शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव महसूस किया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि देश में अब तक केवल 15 राज्यों ने ही इसे अमलीजामा पहनाया है। जरूरत है कि सभी राज्य इन शिक्षा नियमों में बदलाव कर इसे लागू करें। जिससे देश में शिक्षा से वंचित बालकों को भी शिक्षा मिल सके।